

## **प्रेस नोट दिनांक 26.06.2026 जनपद प्रतापगढ़**

प्रेस नोट दिनांक 26.06.2026

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अमित कश्यप को थाना क्षेत्रान्तर्गत ढकवा तिराहा मोड़ पट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

वादी द्वारा अपनी नाबालिग भतीजी के अपहरण और संभावित यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें अनामिका और उसके परिवार पर बहला-फुसलाकर भगाने व अमित कुमार की संलिप्तता का आरोप है। इस संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 259/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस बनाम 08 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनीस कुमार मय हमराह का0 रमारतन मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 259/2026 धारा 137(2)/87 BNS थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अमित कश्यप पुत्र स्व0 सोहनलाल निवासी ग्राम सरदार नगर थाना भमोरा जनपद बरेली उम्र करीब 22 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ढकवा तिराहा मोड़ पट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अमित कश्यप पुत्र स्व0 सोहनलाल निवासी ग्राम सरदार नगर थाना भमोरा जनपद बरेली उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अनीस कुमार मय हमराह का0 रमारतन मिश्रा थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 26.06.2026

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म व आइटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा दुष्कर्म व आईटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त सूरज कुमार चौरसिया को थाना क्षेत्रान्तर्गत कलियनापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक श्री शुभनाथ साहनी मय हमराह का0 सोनू कुमार, रि0का0 विशाल शुक्ला, रि0म0 का0 उजाला कुमारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 123/64 (1)/351 (3) BNS व 66E IT ACT थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सूरज कुमार चौरसिया पुत्र शिवप्रसाद चौरसिया निवासी ग्राम रेडिगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कलियनापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सूरज कुमार चौरसिया पुत्र शिवप्रसाद चौरसिया निवासी ग्राम रेडिगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष ।

पुलिस टीम-

निरीक्षक श्री शुभनाथ साहनी मय हमराह का0 सोनू कुमार, रि0का0 विशाल शुक्ला, रि0म0 का0 उजाला कुमारी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दिनांक 26.06.2026**

**थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।**

मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त राजकुमार गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम उदयपुर, पोस्ट उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना उदयपुर पर दी गई तहरीर में बताया गया कि दिनांक 14.06.2026 को सायं लगभग 05:00 बजे उनकी मोटरसाइकिल उदयपुर बाजार, थाना उदयपुर क्षेत्र से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई। वादी द्वारा अपने स्तर से काफी खोजबीन किए जाने के बावजूद मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चल सका। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 128/2026, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 ओम प्रकाश सिंह मय हमराह का0 अनिल कुमार, का0 जितेन्द्र कुमार, रि0का0 विक्की कुमार, रि0का0 इरफान द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 128/2026, धारा 303(2) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राजकुमार पुत्र हुबलाल निवासी ग्राम आधार का पुरवा मजरे पेडरिया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत नहर के बगल में बने हुए कुसौली को जाने वाले खंडजा मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त राजकुमार के कब्जे से उपरोक्त अभियोग से संबंधित 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 14.06.2026 की शाम को करीब 5.00 बजे उदयपुर कस्बा से अपने एक मित्र लवकुश पुत्र हरपाल सरोज निवासी ग्राम बीकापुर मजरे नारायनपुर थाना डीह जनपद रायबरेली उम्र करीब 25 वर्ष के साथ मिलकर इस मोटर साइकिल चोरी किया गया था यह वही मोटर साइकिल है जिसे आज मैं गौरीगंज बेचने हेतु जा रहा था। पुलिस के पकड़े जाने के डर से मैं हडबडा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राजकुमार पुत्र हुबलाल निवासी ग्राम आधार का पुरवा मजरे पेडरिया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ओम प्रकाश सिंह मय हमराह का0 अनिल कुमार, का0 जितेन्द्र कुमार, रि0का0 विक्की कुमार, रि0का0 इरफान थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दिनांक 26.06.2026**

**थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।**

थाना दिलीपपुर पुलिस व स्पेशल टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोरी का सफल अनावरण, 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, चोरी की 04 मोटर साइकिल व अवैध तमंचा कारतूस बरामद बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस व स्पेशल टीम को बड़ी सफलता —04 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 04 अभियुक्तों, प्रियांशु वर्मा उर्फ कल्लू, नितिल यादव उर्फ रितिक यादव, सूरज मौर्य,

सत्यम उर्फ बच्चा वर्मा को थाना क्षेत्रान्तर्गत खीरी बीर मन्दिर के पास ग्राम चौखडा से गिरफ्तार किया गया, साथ ही 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद-

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, हे0का0 आशुतोष रंजन, हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 निर्दोष कुमार, का0 जगदीश का0 आनन्द प्रकाश यादव, का0 धीरज सिंह, रि0का0 राहुल बेनवंशी, रि0म0का0 नेहा मय चालक का0 चालक विनोद यादव व स्पेशल टीम प्रभारी उ0नि0 विजेन्द्र मय हमराह हे0का0 भानु प्रताप सिंह, का0 मुकेश पटेल, का0 माधवेश राय, का0 पियुष यादव, का0 आनन्द यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 04 चोरी की मोटरसाइकिल व 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ 04 अभियुक्तों, 01. प्रियांशु वर्मा उर्फ कल्लू पुत्र मूलचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम गौसपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 02. नितिल यादव उर्फ रितिक यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी ग्राम नारायनपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 19 वर्ष, 03. सूरज मौर्या पुत्र माता प्रसाद मौर्या निवासी ग्राम भुसहर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, 04. सत्यम उर्फ बच्चा वर्मा पुत्र सालिकराम वर्मा निवासी रामपुर बेला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत खीरी बीर मन्दिर के पास ग्राम चौखडा से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 04 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद की गई हैं। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 148/26 धारा 303 (2)/317 (2)/338/336 (3) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि वे विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम कीमत पर राह चलते व्यक्तियों को बेच देते हैं तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग अपने शौक एवं व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने में करते हैं।

पूछताछ एवं बरामदगी का विवरण निम्नवत है—

अभियुक्त प्रियांशु वर्मा उर्फ कल्लू के कब्जे से 01 अदद हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल उसने सैफाबाद क्षेत्र से चोरी की थी।

अभियुक्त नितिल यादव उर्फ रितिक यादव के कब्जे से 01 अदद हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल उसने कल्हूगंज क्षेत्र से काफी समय पूर्व चोरी की थी। घटना की सटीक तिथि उसे स्मरण नहीं है।

अभियुक्त सूरज मौर्य के कब्जे से 01 अदद यामाहा एमटी-15 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल उसने काफी समय पूर्व सैफाबाद क्षेत्र से चोरी की थी।

अभियुक्त सत्यम उर्फ बच्चा वर्मा के कब्जे से 01 अदद हीरो होंडा सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल उसने काफी समय पूर्व मंगरौरा क्षेत्र से चोरी की थी।

अभियुक्तों का विवरण-

01. प्रियांशु वर्मा उर्फ कल्लू पुत्र मूलचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम गौसपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
02. नितिल यादव उर्फ रितिक यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी ग्राम नारायनपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 19 वर्ष।
03. सूरज मौर्या पुत्र माता प्रसाद मौर्या निवासी ग्राम भुसहर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।
04. सत्यम उर्फ बच्चा वर्मा पुत्र सालिकराम वर्मा निवासी रामपुर बेला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-

चोरी की 04 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, हे0का0 आशुतोष रंजन, हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 निर्दोष कुमार, का0 जगदीश का0 आनन्द प्रकाश यादव, का0 धीरज सिंह, रि0का0 राहुल बेनवंशी, रि0म0का0 नेहा मय चालक का0 चालक विनोद यादव थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम- स्पेशल टीम प्रभारी उ0नि0 विजेन्द्र मय हमराह हे0का0 भानु प्रताप सिंह, का0 मुकेश पटेल, का0 माधवेश राय, का0 पियुष यादव, का0 आनन्द यादव।

**प्रेस नोट दिनांक 26.06.2026**

**थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।**

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अभिषेक सरोज को थाना क्षेत्रान्तर्गत ढकवा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह रि0का0 सूरज गौड़, रि0का0 अरुण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाञ्छित अभियुक्त के दौरान,

मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा-137(2), 87, 64(1) BNS व 3/4(1) पोक्सो एक्ट थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अभिषेक सरोज पुत्र दयाराम सरोज निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत ढकवा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभिषेक सरोज पुत्र दयाराम सरोज निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह रि0का0 सूरज गौड़ रि0का0 अरुण कुमार थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 26.06.2026

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

अपनी माँ पर जानलेवा हमला करने वाला पुत्र गिरफ्तार, एक अदद डण्डा बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त रामकृष्ण को क्षेत्रान्तर्गत चौसा गैस गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया, 01 अदद डण्डा बरामद

प्रतापगढ़।

वादिनी निवासी ग्राम कुटिया बहरिया चौसा द्वारा थाना कुण्डा पर प्रस्तुत तहरीर में आरोप लगाया गया है कि दिनांक 15.06.2026 की रात्रि को उनका पुत्र रामकृष्ण शराब पीने हेतु उनसे पैसे मांगने आया। वादिनी द्वारा पैसे देने से मना करने पर उसने लाठी-डंडा, लोहे की रॉड एवं धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनके हाथ-पैर एवं सिर में चोटें आईं तथा नाक और कान से रक्तस्राव होने के कारण वह बेहोश हो गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0-199/2026 धारा 115 (2)/109(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह रि0का0 सर्वेश यादव व रि0का0 धर्मराज साहनी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-199/2026 धारा 115 (2)/109(1) बीएनएस थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रामकृष्ण पुत्र करमचन्द निवासी ग्राम कुटिया बहरिया चौसा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष को 01 अदद डण्डा के साथ थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत चौसा गैस गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने कुछ दिनों पूर्व अपनी माँ को मारा पीटा था जिससे उन्हें ज्यादा चोटें लगी थीं व मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, गिरफ्तारी के डर से मैं कहीं बाहर जाने के लिए साधन को इंतजार में यहाँ खड़ा था कि आपने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त से पूछने पर उसने अपनी माँ को किस चीज से मारा पीटा था तो बताया कि लाठी से मारे थे। लाठी को मैंने माँ को मारने के बाद लाठी को अपने घर के पीछे अमरूद के पेड़ के पास फेंक कर भाग गया था। अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामकृष्ण पुत्र करमचन्द निवासी ग्राम कुटिया बहरिया चौसा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह रि0का0 सर्वेश यादव व रि0का0 धर्मराज साहनी थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 26.06.2026

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म व पाँक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, भोला व बिल्लू उर्फ अभिषेक को थाना क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर भडचक बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय मय हमराह उ0नि0 अमित कुमार सिंह, का0 काशी राजभर, का0 हरवीर सिंह, रि0म0का0 सुष्मिता सिंह व म0का0 किरन बिन्द मय चालक हे0का0 दिनेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 70 (2)/3 (5) बीएनएस व 5(g)/6 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. भोला पुत्र दयाराम उम्र 28 वर्ष नि0 गौरी थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर, 02. बिल्लू उर्फ अभिषेक पुत्र सुखलाल नि0 केशवपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर भडचक बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. भोला पुत्र दयाराम उम्र 28 वर्ष नि0 गौरी थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर,।

02. बिल्लू उर्फ अभिषेक पुत्र सुखलाल नि0 केशवपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय मय हमराह उ0नि0 अमित कुमार सिंह, का0 काशी राजभर, का0  
हरवीर सिंह, रि0म0का0 सुष्मिता सिंह व म0का0 किरन बिन्द मय चालक हे0का0 दिनेश कुमार थाना मानिकपुर  
जनपद प्रतापगढ़ ।